शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय, इन्दौर

1, सरदार पटेल मार्ग, इंदौर 452001

क्रमांक / 1865 / स्थापना / विज्ञप्ति / 2023 इंदौर, दिनांक 4.05.23

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–53 / 2017 / 1 / 55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविघालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर के अधीन दंत चिकित्सा के विभिन्न विषयों के सह प्राध्यापक (रीडर) – 4 इस प्रकार कुल 04 पदों की विषयवार पूर्ति की जाना है। इस हेतु अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के लिये दिनांक 22.5.2023 को सांय 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की विस्तृत जानकारी, आरक्षण की स्थिति एवं एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर कार्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर मध्यप्रदेश की बेबसाईट www.gdcindore.org पर उपलब्ध हैं।

2. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्गित रूप से कार्यालय प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर में अंतिम तिथि दिनांक 22.5.2023 को सायंकाल 05:00 बजे के पूर्व जमा किये जा सकेगें। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरांत आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किये जावेगें। दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य
स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविधालय, इन्दौर

सह प्राध्यापक (रीडर) रिक्त पद

क	विषय	UR	SC	ST	OBC	योग
1	संरक्षी दंत चिकित्सा और इंडोडोंटिक्स	-	-	1	-	1
2	पीरियोडोंटालॉजी	-	-	1	-	1
3	बाल चिकित्सा एवं निवारक दंत चिकित्सा	-	-	1	-	1
4	मुख औषध एंव विकिरण चिकित्सा विज्ञान	-	-	1	-	1
	योग	-	Nil	4	NIL	4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य
स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

3. तालिका में उल्लेखित रिक्तियॉ संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 2– 53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविघालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर की अनुसूची के अनुसार आरक्षण रोस्टर एव शासन के 2 से 5 बिन्दु के आरक्षण रेास्टर में उलेखित चकानुकम अनुसार संधारित है।
4. तालिका में उल्लेखित चिन्हित पदों में SC= अनुसूचति जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछडा वर्ग, एवं UR= अनारक्षित है।
5. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
6. स्कूटनी समिति द्वारा पात्र अभ्यार्थियों को साक्षात्कार की सूचना महाविघालय की बेबसाईट पर अथवा अभ्यार्थी के ई–मेल आई.डी. पर दी जावेगी ।

1. **वेतनमान –**		**नियमित नियुक्ति हेतु**
रीडर	–	37400–67000 + ग्रेड–पे 9000 +डी0ए0

टीप – समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. **आयु सीमा –**		**न्यूनतम**	**अधिकतम**
रीडर	–	30 वर्ष	62 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी (01–01–2023) के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
   - **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. **अर्हताये :–**
   - भारतीय दंत परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित मापदण्डों (शिक्षकों) के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।
   - अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश डेंटल कौंसिल/डेंटल कौंसिल ऑफ इण्डिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
   - अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद,सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए जो डेंटल कौंसिल ऑफ इडिण्या के अंतर्गत मान्य हो।

5. **निरर्हतायें–**

5-1 विकृत चित्त वाला होने पर।
5-2 दुश्चरित्र होने पर।
5-3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5-4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5-5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5-6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख में फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5-7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5-8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5-9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

5-10 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 दिनांक 25.05.2000 के अनुसार – कोई भी अभ्यार्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26.01.2021 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। किंतु पूर्व से मध्यप्रदेश शासन / स्वशासी समिति अंतर्गत कार्यरतों के लिये इस शर्त की व्याख्या सेवा निरंतरता के सिद्वांत अनुसार लागू होगी।

6. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः 2 वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी । यदि चयनित अभ्यर्थी स्वशासी दंत महाविघालय में कार्यरत् है तो उसे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी ।

7. चयन हेतु साक्षात्कर/लिखित परीक्षा अथवा दोनों की प्रकिया अपनाई जा सकती है ।

8. स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नही लेना होगा। परंतु अन्य संस्थाओं में सेवारत चिकित्सकों को नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

9. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

10. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

11. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त

के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

12. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय मे कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।

13. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राजय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नही है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यार्थियों को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमी लेयर में नही आते।

14. मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

15. मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में विहित छूट का लाभ देय होगा।

16. **आवेदन शुल्क** :– मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग गैर क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यार्थियों हेतु शुल्क राशि 500/– एवं शेष अन्य सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यार्थियों हेतु राशि रू. 1000/– का डिमांड ड्राप्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी,स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर के नाम से निर्मित होना चाहिए तथा इंदौर पर देय होना चाहिए। चेक,पोस्टल आर्डर आदि अन्य किसी भी रीति से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैंक ड्राप्ट से पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम,विषय का नाम,पता एवं मोबाईल नम्बर लिखना आवश्यक है। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जोवगा। किसी भी स्थिति में शुल्क लौटायी नहीं जावेगी ।

17. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :– स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर के लिए आवेदन प्राचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर में आवेदन पत्र दिनांक 22.5.2023 सायं 05.00 बजे तक आवक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय दंत चिकित्सा महाविघालय इंदौर में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

18. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

19. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्पशासी दंत चिकित्सा महाविघालय /चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है ।

20. साक्षात्कार के समय अभ्यार्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो'–दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।

21. **अन्य शर्तें :–**

- यह नियुक्ति शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय सेवा भर्ती नियमों के अधीन की जा रही हैं। अतः स्वशासी संस्था के समस्त नियम लागू होगें ।
- सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी ।
- सेवारत उम्मीदवारों को नियोक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर साक्षात्कार में भाग लेने की पात्रता नही होगी।
- म.प्र.के उम्मीदवार को म.प्र.राज्य दंत परिषद से दिनांक 31.3.2023 से पूर्व जीवित बीडीएस एवं एमडीएस में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। म.प्र.के बाहर अन्य परिषद से पंजीकृत उम्मीदवारों को भी अपने संबंधित राज्यों की दंत परिषद से दिनांक 31.3.2023 से पूर्व जीवित बीडीएस एवं एमडीएस में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। परन्तु चयन होने के पश्चात् 01 माह के अंदर म.प्र.राज्य दंत परिषद से पंजीकृत होना आवश्यक होगा ।
- केवल अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को स्कूटनी में सफल पाये जाने पर ही नियमानुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा ।
- साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। अन्यथा संबंधित उम्मीदवार को अपात्र घोषित किया जावेगा ।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के **अनर्ह** पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्राचार्य
स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

आवेदन पत्र का प्रारूप

सह प्राध्यापक (रीडर) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन–पत्र (अंतिम तिथि 22.5.2023)

नोटः सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित फोटो

1. बैंक ड्राप्ट का कमांक एवं दिनांक एवं राशि रू. ....
1. आवेदक का नाम ....
2. पुरूष / महिला...
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित)..
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित)...

   ....

   शहर का नाम.............................. फोन नं...

   मोबाइल नं................................ईमेलआईडी...
5. स्थाई पता...

   ....

   शहर का नाम............................. फोन नं...

   मोबाइल नं...
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) ....
7. जन्मतिथि (**हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें**).................................
8. दिनांक 01 / 01 / 2022 को आवेदक की आयु ....दिन .... माह .... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति– विवाहित / अविवाहित
10. विवाह का दिनांक– ....
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग .... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की **छायाप्रति संलग्न करें**)
12. राज्य डेंटल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनाॅक .... **(छायाप्रति संलग्न करे)** ..

    अ. (बी.डी.एस.)–

    ब. (एम.डी.एस)–.

13. शैक्षणिक योग्यताऐं :– (प्रमाण–पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	बी.डी.एस. के कुल प्राप्तांक / प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
	B.D.S. Ist year						
	B.D.S IInd year						
	B.D.S IIIrd year						
	B.D.S Final year						
	M.D.S.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक–पृथक भरे)

नोटः प्रत्येक परीक्षा के प्रयास ;**(Attempt)** प्रमाण पत्र प्राचार्य / अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो छायाप्रति संलग्न करें।

बी.डी.एस. एवं एम.डी.एस. की डिग्री की छायाप्रति संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें :–

कमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1.	प्राध्यापक (प्रोफेसर)	
2.	सह–प्राध्यापक (रीडर)	
3.	सहायक प्राध्यापक (लेक्चरर)	
4.	ट्यूटर्स / प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :–भारतीय दंत परिषद के मापदण्ड एवं तालिका अनुसार :–

क.	श्रेणी	शोध पत्रिका का नाम	प्रकाशन का प्रकार मौलिक शोध / अन्य प्रकाशन	रचियता प्रधान / सह रचियता कम	अंक

समस्त शोध पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

16. तालिका–1

श्रेणी	अंक
श्रेणी–1 : (1) पबमेड – मेडलाईन में अनकमित शोधपत्रिकाऐं – कृपया यहाँ देखे – (2) भारतीय दंत परिषद द्वारा अनुमोदित भारतीय/अंतराष्ट्रीय दंत विशेषज्ञता संघो द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकायें।	15
श्रेणी–2 : (1) दंत उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी स्वास्थ्य विश्वविद्यालयों या दंत उपाधि प्रदान करने वाले सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित चिकित्सीय/दंत शोधपत्रिकायें। (2) आई.सी.एम.आर./इसी प्रकार के अन्य सरकारी निकायों द्वारा अनुमोदित मौलिकशोध/अध्ययन। (3) संबंधित विशेषज्ञता से संबंधित पाठ्य/संदर्भ पुस्तक के रचियता। (4) एम.डी.एस. के बाद पी.एच.डी. या इसी प्रकार की कोई अन्य अर्हता।	10
श्रेणी–3 : (1) मानित विश्वविद्यालयों/दंत संस्थाओं/भारतीय दंत संघ द्वारा प्रकाशित शोधपत्रिकाऐं (2) पाठयपुस्तकों में अध्यायों का योगदान।	5

ध्यान दें

1. मौलिक शोध को छोडकर अन्य किसी भी प्रकाशन के लिये, पहले रचियता (प्रधान रचियता) को 100% अंक दिये जायेगे और शेष रचियताओं को 50% अंक दिये जायेगे और अधिकतम 5 सह–रचियताओं पर विचार किया जावेगा।

2. मौलिक शोध के लिये सभी रचियताओं को समान अंक दिये जायेगे और अधिकतम 6 रचियताओं पर विचार किया जावेगा।

3. श्रेणी 3 में अंकों के आवंटन हेतु अधिकतम 3 प्रकाशनों पर विचार किया जाएगा।

4. टेबलॉइज/संस्मरणों/दंत समाचार पत्रिकाओं/सम्मलेनों की कार्यवाहियों के सार/ स्वीकृति पत्र आदि में प्रकाशन पर अंकों के आवंटन हेतु विचार नही किया जाएगा।

आवश्यक कुल स्कोर :

प्रोफेसर : 30 अंक

अध्येता (रीडर)/सह–प्रोफेसर : 20 अंक

महत्वपूर्ण :

1. मान्यता प्राप्त परास्नातक अध्यापक का हर तीन वर्ष पर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और उसके पास उसक स्कोर में कम से कम 15 अतिरिक्त अंक होने चाहिए।

2. एक शोधपत्रिका समीक्षा विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सकता है जो विभिनन श्रेणियों में उपलब्ध समस्त अंतर्राष्ट्रीय एंव भारतीय दंत शोधपत्रिकाओं को सूचीबद्व करेगी। परिषद की वेबसाइट पर इस सूची का प्रदर्शन किया जाएगा। यह समिति शोधपत्रिकाओं की सूची की वार्षिक समीक्षा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी और यह विभिन्न शोधपत्रिकाओं के प्रकाशनों के स्तर की सतत निगरानी करेगी, एवं यदि शोधपत्रिका द्वारा उसका स्तर बनाए नही रखा जाता है तो प्रकाशनों की श्रेणियों का उन्नयन/अवनयन किया जा सकता हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा की समीक्षा भारतीय दंत परिषद की कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी एंव कार्यकारी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

16.संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची पेज नं. सहित ----------------------
(छायाप्रति संलग्न करें)।

स्थान.................................   आवेदक का पूरा नाम एवं

दिनांक   हस्ताक्षर

//घोषणा–पत्र//

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरूद्व पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर.दर्ज नहीं है, और मेरे विरूद्व कोई विभागीय जॉच प्रचलन में नहीं है ।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरूद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझ पर बंधन कारक होगा।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर